# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0141 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/06/2025 16:17 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(1)(c) |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(1)(d) |
| 3 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(2) |
| 4 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 5 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(1)(a) |
| 6 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(2) |
| 7 | भा दं सं 1860 | 192 |
| 8 | भा दं सं 1860 | 193 |
| 9 | भा दं सं 1860 | 409 |
| 10 | भा दं सं 1860 | 420 |
| 11 | भा दं सं 1860 | 477-A |
| 12 | भा दं सं 1860 | 120-B |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/05/2018 **Date To (दिनांक तक):** 14/12/2020

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/06/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/06/2025 16:17:26 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 330 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NAGARPALIKA KSHETR,BHADRA, JILA HANUMANGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SANJYA SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** OMPRAKASH SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1979 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | WARD NO 5, HATHIPURA BAAS, BHADRA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | WARD NO 5, HATHIPURA BAAS, BHADRA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA |

[redacted]



(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHISHA BANO | | पत्नी:HASAM ALI NAGAURI | 1. KUTIYA ROAD KE PASS,BHADRA,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | PRATHVIRAJ JAKHAR | | पिता:DEVSIRAM JAKHAR | 1. RAMSARA JAKHADA,SURATGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA |
| 3 | VINOD KUMAR PACHAR | | पिता:JAGDISH | 1. MAKAN NUMBER 648,JAMAL, SIRASA,सिरसा,हरियाणा,INDIA |
| 4 | INDARPAL SINGH | | पिता:SURAJBHAN | 1. GRAM SHERPURA,BHADRA,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA |
| 5 | KAILASH KUMAR PRAJAPAT | | पिता:KALYAN KUMAR PRAJAPT | 1. 303-304,JAGDISH ANKLEV,RAM MANDIR KE SAMANE,CIVIL LINE,22 GODAM CIRCAL,,HAVA SADAK,JAIPUR,C.P.S Jaipur,ACB |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 70,00,000.00 |

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 70,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि श्रीमान उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक 1020-23 दिनांक 3.11.2022 की पालना में नगरपालिका क्षेत्र भादरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री संजय शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, उम्र 46 साल निवासी हाथीपुरा बास, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ द्वारा दी गई रिपोर्ट पर ब्यूरो में पंजीबद्ध प्राथमिक जांच संख्या 23/2022 जांच हेतु मन अति. पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई। प्राथमिक जांच में किये गये अनुसंधान से प्रकट हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जोधपुर पीठ में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या 1554/04 के

विचारण में प्रदान किये गये आदेश दिनांक 12.01.2017 के बिन्दु संख्या (ii) के तहत राज्य सरकार / समस्त नगरीय निकायों को राज्य के सभी शहरों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश की निरन्तरता में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ के अन्य आदेश दिनांक 08.08.2017 व 14.10. 2017 द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि जोनल डवलपमेन्ट प्लान लागू किये जाने बिना किसी भी प्रकार का भू-रूपान्तरण अथवा नियमन आदि की कार्यवाही नहीं की जावे। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर पीठ के उक्त आदेशों की पालना में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प-12 (103) नविवि/2004 पार्ट-4 दिनांक 04.09. 2017 से जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार समस्त नगरीय निकाय अविलम्ब डेडिकेटेड कन्सलटेन्ट्स के माध्यम से सर्वे कर जोनल प्लान व सेक्टर प्लान 6 माह की अवधि में तैयार करें, साथ ही अतिक्रमण/अवैध निर्माण का नियमन तब तक नहीं किया जावे जब तक की उक्त अतिक्रमण / निर्माण मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू-उपयोग मास्टर प्लान / जोनल प्लान / सैक्टर प्लान के अनुरूप नहीं हो। इसी कम में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ.10 (44) यूडीडी/3/2009/ पार्ट ।। दिनांक 24. 10.2017 से सम्बन्धित नगरीय निकाय को जोनल बेस मेप व सूचनाएँ एकत्रित किये जाने व राजस्व मानचित्रों, पूर्व के कमिटमेन्ट, राजकीय भूमि, प्राकृतिक सम्पदा (यथा नदी नाले वन आदि) व नगर पालिका/वार्ड की सीमाओं के सुपरईम्पोजिशन का कार्य सम्बन्धित नगरीय निकाय के स्तर पर ही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ.59/एस.टी.पी./ डीएलबी / रिव्यू ऑफ एम.पी./14/2519 दिनांक 10.01.2018 जारी कर सम्बन्धित नगरीय निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किये गये और कार्यालय आदेश दिनांक 26.10.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 26.03.2018 को आदेश जारी किया गया कि नगरपालिकाओं द्वारा दी जा रही सर्विसेज को दृष्टिगत रखते हुए जोनल प्रोपर्टी लेवल बेस व वर्तमान भू-उपयोग के विस्तृत मानचित्र तैयार किये जाने तथा साथ ही जोनल डवलपमेन्ट प्लान में प्रस्तावित सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तृत तकनीकी निर्देश प्रदान किये गये। उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में जोनल डवलपमेन्ट प्लान के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकाय विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2011, 03.10.2013, 14.10.2013, 10.01.2018, 16.03.2018, 26.03. 2018 के क्रम में नगर पालिका भादरा द्वारा दिनांक 03.05.2018 से सम्बन्धित कन्सलटेन्सी फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि.. यूजी 7-9 कृष्णा मॉल, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा, टोंक रोड, जयपुर को कार्यादेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यादेश में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, भादरा द्वारा मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. को निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक TPR/E.O./13 Date 03-10-2013 के अनुसार Category-IV Master Plans/Sector Plan city Development Plans/Environment Plan of Urban Areas/Towns/Villages की सूची में सम्मिलित होना बताया जाकर कार्यादेश प्रदान किया गया, किन्तु स्थानीय निकाय विभाग द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी द्वारा नगर पालिका, भादरा हेतु तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान के लिये किये गये भुगतान की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. नगरपालिका भादरा द्वारा जारी कार्यादेश में अंकित सूची में सम्मिलित नहीं होकर, इस फर्म को परिशिष्ट D की Under Review श्रेणी में रखा गया है और इस श्रेणी में अंकित फर्म को कार्य हेतु अधिकृत नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से कार्यादेश में मिथ्या सूचना अंकित कर कार्य प्रदान किया गया है। जांच हेतु गठित समिति द्वारा तत्समय की गई जांच के दौरान नगरपालिका, भादरा द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी में नगरपालिका भादरा के उत्तरदायी लोकसेवकों द्वारा फर्म के सर्वे सम्बन्धी कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर को भेजे जाने का उल्लेख है किन्तु जांच समिति को उक्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं मिले है, इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि पर्यवेक्षण कार्यालय को बिना प्रगति रिपोर्ट भेजे, सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगरपालिका, भादरा द्वारा सम्बन्धित फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. से जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु नियमानुसार अनुबंध पत्र प्राप्त कर कार्यादेश प्रदान किया जाना था, किन्तु नगरपालिका भादरा में पदस्थापित उत्तरदायी लोकसेवकों द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए फर्म को लाभ पहुंचाने के आशय से बिना अनुबंध पत्र प्राप्त किये फर्म को कार्यादेश प्रदान किया गया। स्थानीय निकाय विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2018, 06.02.2019 तथा 12.04.2019 की अनुपालना में नगरपालिका, भादरा के उत्तरदायी लोकसेवकों द्वारा सम्बन्धित लाभान्वित फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. को भुगतान से पूर्व तकनीकी अनुमोदन करवाया जाना आवश्यक था किन्तु नगरपालिका भादरा में पदस्थापित सम्बन्धित उत्तरदायी लोकसेवकों द्वारा फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. को बिना तकनीकी अनुमोदन के स्थानीय स्तर पर ही 70,00,000 रूप्ये की राजकीय राशि का भुगतान भी कर दिया गया। उक्त आदेशों में यह भी निर्देश प्रदान किये गये थे कि यदि इन आदेशों के जारी होने से पूर्व सम्बन्धित फर्म को तकनीकी अनुमोदन के बिना निकाय द्वारा भुगतान कर दिया गया है, तो उसकी Recovery की जाये, किन्तु बार-बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, भादरा तथा अन्य सम्बन्धित उत्तरदायी लोकसेवकों द्वारा फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. को Recovery के लिये

नोटिस तक भी जारी नहीं किये गये। प्राथमिक जांच में निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 2(क) () जांच / डीएलबी /2019 / 1509 दिनांक 14.06.2021 से नगरपालिका, भादरा में पदस्थापित सम्बन्धित उत्तरदायी लोकसेवकों के विरूद्ध जांच / अनुसंधान प्रारम्भ करने हेतु धारा 17-ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 के तहत पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया। इस प्रकार प्राथमिक जांच में प्राप्त जांच समिति रिपोर्ट, संकलित दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती रहीशा बानो, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका भादरा, जिला हनुमानगढ, श्री पृथ्वीराज जाखड, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भादरा, जिला हनुमानगढ, श्री विनोद कुमार पचार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका, भादरा, जिला हनुमानगढ तथा श्री इन्द्रपाल सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए सम्बन्धित फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा.लि. को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से सम्बन्धित लाभान्वित फर्म मे आपसी मिलीभगत कर, मिथ्या सूचनायें अंकित कर कार्यादेश जारी किया गया और तकनीकी अनुमोदन के बिना 70 लाख रूप्ये की राशि का भुगतान किया जाकर राजकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना प्रकट होता है, आरोपीगणों का उक्त कृत्य धारा 13(1),(C),(D),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सपठित 7, 13 (1) (A), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 तथा 192, 193, 409, 420, 477-A व 120 B भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः (1) श्रीमती रहीशा बानो पत्नि श्री हासम अली नागौरी, उम्र-43 वर्ष निवासी कुटिया रोड के पास, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका भादरा जिला हनुमानगढ़, (2) श्री पृथ्वीराज जाखड पुत्र श्री देवसीराम जाखड, उम्र-66 साल निवासी रामसरा जाखडा, तहसील सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भादरा, जिला हनुमानगढ, (3) श्री विनोद कुमार पचार पुत्र श्री जगदीश उम्र 47 साल निवासी म.नं. 648 जमाल, तहसील सिरसा, जिला सिरसा (हरियाणा) तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता. नगर पालिका भादरा, जिला हनुमानगढ, (4) श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. श्री सूरजभान सिंह, उम्र-29 साल निवासी ग्राम शेरपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका भादरा जिला हनुमानगढ तथा (5) श्री कैलाश कुमार प्रजापत पुत्र श्री कल्याण कुमार प्रजापत, उम्र-52 वर्ष निवासी 303-304, जगदीश एनक्लेव, राम मंदिर के सामन, सिविल लाईन, बाईस गोदाम सर्किल, हवा सडक, जयपुर हाल चेयरमेन फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा. लि. के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1), (C), (D), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सपठित 7, 13(1) (A), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 तथा 192, 193, 409, 420, 477-A व 120 B भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमाकंन हेतु प्रेषित है। (महावीर प्रसाद) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्पेशल यूनिट-2, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर (राज.)..........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद ,अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13 (1), (C), (D), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सपठित 7, 13(1) (A), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 192, 193, 409, 420, 477-A व 120 B भा.दं.सं. में आरोपी 1) श्रीमती रहीशा बानो पत्नि श्री हासम अली नागौरी, उम्र-43 वर्ष निवासी कुटिया रोड के पास, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका भादरा जिला हनुमानगढ़, (2) श्री पृथ्वीराज जाखड पुत्र श्री देवसीराम जाखड, उम्र-66 साल निवासी रामसरा जाखडा, तहसील सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भादरा, जिला हनुमानगढ, (3) श्री विनोद कुमार पचार पुत्र श्री जगदीश उम्र 47 साल निवासी म.नं. 648 जमाल, तहसील सिरसा, जिला सिरसा (हरियाणा) तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता. नगर पालिका भादरा, जिला हनुमानगढ, (4) श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. श्री सूरजभान सिंह, उम्र-29 साल निवासी ग्राम शेरपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका भादरा जिला हनुमानगढ तथा (5) श्री कैलाश कुमार प्रजापत पुत्र श्री कल्याण कुमार प्रजापत, उम्र-52 वर्ष निवासी 303-304, जगदीश एनक्लेव, राम मंदिर के सामन, सिविल लाईन, बाईस गोदाम सर्किल, हवा सडक, जयपुर हाल चेयरमेन फर्म मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा. लि. के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अर्चना मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. प्रथम, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 661 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 817-24 दिनांक 05-06-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर। 4- आयुक्त, नगर निगम, हैरिटेज, जयपुर। 5-आयुक्त, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर। 6- बोर्ड/कार्यकारिणी समिति, नगर पालिका भादरा, जिला हनुमानगढ 7-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर। 8-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जॉच संख्या 23/2022)। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.):** ARCHANA MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक
**(जाँच अधिकारी का नाम ):**
**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
**(जाँच के लिए) :**
**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan.IN
Date: 05/06/2025 16:

**Name(नाम):** DR PYARE LAL SHIVRAN
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

15. **Date and time of dispatch to the court**
**(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

**Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )**
**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1982 | | | | |
| 2 | Male | 1959 | | | | |
| 3 | Male | 1978 | | | | |
| 4 | Male | 1996 | | | | |
| 5 | Male | 1973 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)**